

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 12 मई, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 77वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की सतहत्तरवीं (77वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 12 मई, 2017 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 77.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (7 प्रस्ताव)

14 सितंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुनः बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठे वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) पल्लीपुरम और विलूर गांव, त्रिवेंद्रम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 मई, 2017 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 मई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई तथा यह भी कहा गया कि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

(ii) अंड्रकोणम गांव, त्रिवेंद्रम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 मई, 2017 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क केरल का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 मई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई तथा यह भी कहा गया कि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

(iii) सरजापुर, अनेकल तालुक, बंगलौर नगर जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 मई, 2017 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 मई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई तथा यह भी कहा गया कि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

(iv) कोडाती गांव, वर्थुर होबली, सरजापुर रोड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 मई, 2017 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 26 मई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई तथा यह भी कहा गया कि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

(v) ओगनज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबादजिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 मई, 2017 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स कैलिका कंस्टक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 6 मई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vi) ग्राम पल्लावरम, टंबरम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2017 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24 जून, 2020 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vii) राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, फेज II, हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2017 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएलएफ इंफो पार्क (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 26 जून, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 77.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (2 प्रस्ताव)

(i) ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई, 2017 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अवाश लाजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(ii) ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई, 2017 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सीलैंड पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 77.3 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

(i) 25 फरवरी, 2017 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ड लिमिटेड जो शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट की यूनिट 2 है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 फरवरी, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) 5 जनवरी, 2017 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड जो केआईएडीबी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 जनवरी, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(iii) 17 अप्रैल, 2017 के बाद मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड जो शेंद्रे, 5 स्टार औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे, एमआईडीसी, औरंगाबाद में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17 अप्रैल, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 77.4 : सह विकासक के लिए अनुरोध (1 प्रस्ताव)

(i) पल्लावरम गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में भवनों तथा अन्य अवसंरचना / सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 77.5 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (11 प्रस्ताव)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी, 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकले का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती हैं। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

*एसईजेड नियमावली 2006 में अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है तथा वेटिंग के लिए डीएलए को भेजा गया।

इन प्रस्तावों पर विचार करते समय, बोर्ड ने निर्देश दिया कि शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन आदि के इन मामलों को कवर करने के लिए नियम को शामिल करने के मुद्दे को हल करने के लिए विधायी कार्य विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

(ii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स ग्लोबल इंग्लिश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो शोलिंगनल्लूर, चेन्नई में एलकॉट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर

- एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
 3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
 4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
 5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
 6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
 7. यूनिट सीबीडीटी को अपने पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी;
 8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(ii) कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स एपीरियो इंडिया क्लाउड सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो जयपुर, राजस्थान में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;

5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
7. यूनिट सीबीडीटी को अपने पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी;
8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(iii) शेयरों के 100 प्रतिशत अंतरण के लिए मैसर्स स्पार्कनोवा प्राइवेट लिमिटेड जो अट्टीप्रा गांव, तिरुवनंतपुरम में इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 100 प्रतिशत अंतरण के लिए के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
7. यूनिट सीबीडीटी को अपने पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी;
8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड

नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(iv) शेयरों के 100 प्रतिशत अंतरण के लिए मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कुङ्गुविला, तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क एसईजेड-2 द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 100 प्रतिशत अंतरण के लिए के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
7. सह विकासक सीबीडीटी को यूनिट के पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।
8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(v) शेयरों के 100 प्रतिशत अंतरण के लिए मैसर्स यूएसटी ग्लोबल इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड जो कुङ्गुविला, तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल (टेक्नोपार्क फेज II) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 100 प्रतिशत अंतरण के लिए के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
7. सह विकासक सीबीडीटी को यूनिट के पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।
8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(vi) मैसर्स कैपजेमिनी टेकनोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम में परिवर्तन तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए केएएसईजेड के क्षेत्राधिकार में मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स कैपजेमिनी टेकनोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;

4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
7. यूनिट सीबीडीटी को अपने पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी;
8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(vii) नाम बदलकर मैसर्स कैपजेमिनी टेकनोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड जो एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में मैसर्स सीव्यू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स कैपजेमिनी टेकनोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर

देने से संबंधित कानून शामिल हैं;

7. यूनिट सीबीडीटी को अपने पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी;
8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(viii) 20 मार्च, 2017 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना के अनुसरण में मैसर्स ऑप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के आलोक में उद्यमी में परिवर्तन तथा निम्नलिखित कंपनियों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 100 प्रतिशत परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इनफार्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट I और यूनिट II) जो नोएडा में मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिटें हैं, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20 मार्च, 2017 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना के अनुसरण में मैसर्स ऑप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के आलोक में उद्यमी में परिवर्तन तथा उपर्युक्त कंपनियों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 100 प्रतिशत परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
7. यूनिट सीबीडीटी को अपने पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी;

8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(ix) नाम बदलकर मैसर्स लिक्विड हब एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में मैसर्स अनिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट I) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स अनिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स लिक्विड हब एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
7. यूनिट सीबीडीटी को अपने पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी;
8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(ix) नाम बदलकर मैसर्स लिक्विड हब एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में मैसर्स अनिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट II) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स अनिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स लिक्विड हब एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर

होलिडिंग के पैटर्न में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
7. यूनिट सीबीडीटी को अपने पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी;
8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(xi) शेयर होलिडिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स बीए कांटेनम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट I और यूनिट II) जो एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में ग्राम डूडाहेरा, सेक्टर 21, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त यूनिटों की शेयर होलिडिंग के पैटर्न में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित

करते हैं;

4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
7. यूनिट सीबीडीटी को अपने पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी;
8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

मद संख्या 77.6 : विविध मामले (5 प्रस्ताव)

(i) एसईजेड में मुक्त व्यापार एवं माल गोदाम क्षेत्र की घोषणा के लिए मैसर्स एएमआरएल हाइटेक सिटी लिमिटेड जो ननगूनेरी, तिरुनेवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 42.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुक्त व्यापार और गोदाम क्षेत्र की घोषणा के लिए मैसर्स एएमआरएल हाइटेक सिटी लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसमें सह विकासक यानी मैसर्स आश्रय लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दी गई 10.49 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

(ii) सर्वे नंबर 53/पैकी/भाग, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 0.8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में भूमि की सन्निकटता बनाए रखने की शर्त के अधीन 0.8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स फिनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1.78 हेक्टेयर हो जाएगा।

(iii) 64.48.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो मटोडा, सानंद, अहमदाबाद, गुजरात में फर्मास्युटिकल उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित कर रहा है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में भूमि की सन्निकटता बनाए रखने की शर्त के अधीन 64.48.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 114.770800 हेक्टेयर हो जाएगा।

(iv) मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड के साथ मैसर्स कैपजेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन और मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम / संरचना में परिवर्तन के लिए एसईईपीजेड के क्षेत्राधिकार के अधीन मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड के साथ मैसर्स कैपजेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन और मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम / संरचना में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

1. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
2. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
3. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
4. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे;
5. कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की कराधेयता तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा;
6. आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं;
7. विकासक सीबीडीटी को यूनिट के पैन तथा क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा;
8. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(v) अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स अर्शिया रेल

साइडिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एआरएसएल) जो ग्राम साई, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स अर्शिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव स्थगित कर दिया कि 75वें बोओए के निर्णय के अनुसार मैसर्स असेंडास फंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग की बिक्री / अंतरण के बाद मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एआरएसएल) अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए बोर्ड से संपर्क कर सकता है या 75वें बोओए के निर्णय को ध्यान में रखकर नए सिरे से पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

मद संख्या 77.7 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (2 अपीलें)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 मार्च, 2017 के विरुद्ध मैसर्स जगत जेम्स एंड ज्वैलरी जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने इस तथ्य के मद्देनजर अपील खारिज कर दी कि 2010 के बाद से यूनिट द्वारा कोई गतिविधि नहीं की गई है और अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किए गए दो एक्सटेंशन के बाद भी कोई गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, एपीएसईजेडएल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के विरुद्ध मैसर्स फास्ट ट्रैक सीएफएस प्राइवेट लिमिटेड जो एपीएसईजेडएल की यूनिट है, की अपील

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने इस टिप्पणी के साथ अपील को आस्थगित कर दिया कि नियम 76 के अनुसार वेयर हाउसिंग की सेवाएं प्रदान करने वाली यूनिटों तथा एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18(5) के तहत एफटीडब्ल्यूजेड के तहत यूनिटों से संबंधित प्रावधान के संबंध में कानूनी सलाह प्राप्त की जाए।

वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 12 मई, 2017 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, अनुमोदन बोर्ड और वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग
2. श्री अजय कुमार भल्ला, डीजीएफटी
3. श्री अलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
4. श्री विनय छाबड़ा, डीओ, डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. डॉ. तेजपाल सिंह, अपर महानिदेशक, डीजीईपी
6. श्रीमती दीपशिखा शर्मा, निदेशक, सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
7. श्री सरोज कुमार बेहरा, संयुक्त निदेशक, डीजीईपी, बीईसी
8. श्री ए के मिश्रा, अनुसंधान सहायक, टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली
9. श्री राजीव मलिक, असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर, महाराष्ट्र सरकार, महा सदन
10. श्री एस शशिकुमार, उप निदेशक, डीआईपीपी
11. श्री एच एस बिष्ट, निदेशक (चेम) / एमएटीयू, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
12. श्री ओ डी वशिष्ठ, डीजीएम / डीएसआईआईडीसी, हरियाणा सरकार, सी-8, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली
13. डॉ. उर्वशी राउल, महाप्रबंधक, पीएसआईईसी, नई दिल्ली
14. श्री राधेश्याम मिश्रा, अपर आयुक्त उद्योग, मेरठ, उत्तर प्रदेश - प्रधान सचिव एमएसएमई के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश सरकार
15. डॉ. राकेश ए आर, टाउन एंड कंट्री, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

विकास आयुक्तों की सूची

16. श्री एल बी सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड
17. श्री एन पी एस मोंगा, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड
18. डॉ सफीना एएन, विकास आयुक्त, सीएसईजेड
19. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, केएसईजेड
20. सुश्री सोभना के एस राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड
21. श्री एम के एस सुंदरम, विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड
22. श्री जे एम गुप्ता, विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड / फाल्टा एसईजेड
23. श्री आर पी गोयल, विकास आयुक्त, एपीएसईजेड / मुंद्रा एसईजेड
24. श्री एस के शर्मा, विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड, नागपुर

25. श्रीमती लता शुक्ला, विकास आयुक्त, नवी मुंबई एसईजेड
26. श्री के एल शर्मा, विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड
27. श्री ए के सिंह, विकास आयुक्त, मंगलौर एसईजेड

वाणिज्य विभाग से प्रतिभागियों की सूची

28. श्री टी वी रवि, निदेशक, वाणिज्य विभाग
29. श्री आदित्य नारायण, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
30. श्री के सी बिस्वाल, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग
31. श्री पीयूष, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग